किसान क्रेडिट कार्ड योजना

*505 श्री राजीव रंजन सिंह ललन †
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की एक योजना शुरु की गई है,

(ख) यदि हां, तो यह योजना अब तक किस किस राज्य में शुरू की गई है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य वार कितने किसानों को उक्त क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, और

(घ) ये किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्रता की क्या शर्तें हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): **(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

विवरण

(क) और (ख) जी, हां । माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 1998-99 के अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)ने माडल किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई थी। यह योजना किसानों को समय पर पर्याप्त ऋण देने के लिए परेशानी रहित तंत्र के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

(ग) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस योजना को शुरू किये जाने के बाद से 30 जून, 2001 तक सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों ने कुल मिलाकर 1.54 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए हैं। राज्य वार ब्यौरे संलन विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

(घ) इस योजना के तहत किए गये प्रावधान के अनुसार वे सभी किसान, जो फसल उत्पादन और उससे संबंधित सहायक क्रियाकलापों जैसे कृषि मशीनरी-औजार, विद्युत-प्रभार आदि के लिए ऋण मंजूरी हेतु पात्र हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के पात्र हैं। ऋण सीमाएं ऋणकर्ता के परिचालनात्मक भूमि जोत, फसल पैटर्न, संबंधित फसलों के लिए वित्तमान आदि के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

विवरण I

दिनांक 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों के राज्य-वार ब्यौरे।

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी कार्डों की सं.
1	2	3
1.	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	694
2.	आन्ध्र प्रदेश	3954890
3.	असम	4293
4.	अरूणाचल प्रदेश	231
5.	बिहार	311465
6.	चंडीगढ़	—
7.	छत्तीसगढ़	3221
8.	दादर एंव नागर हवेली	1
9.	दमन एंव दीव	—
10.	गोवा	1546
11.	गुजरात	592123
12.	हरियाणा	558871
13.	हिमाचल प्रदेश	32876
14.	जम्मू एवं कश्मीर	13567
15.	झारखण्ड	12269
16.	कर्नाटक	926509

1	2	3
17.	केरल	576180
18.	लक्षद्वीप	63
19.	मध्य प्रदेश	365301
20.	महाराष्ट्र	1803540
21.	मणिपुर	323
22.	मेघालय	1785
23.	मिजोरम	
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1417
25.	नागालैंड	10
26.	उड़ीसा	947247
27.	पांडिचेरी	8301
28.	पंजाब	761290
29.	राजस्थान	1531657
30.	सिक्किम	209
31.	तमिलनाडु	1148913
32.	त्रिपुरा	1396
33.	उत्तर प्रदेश	1678673
34.	उत्तरांचल	2332
35.	पश्चिम बंगाल	141501
	जोड़ः	15382697

Kisan Credit Card Scheme

*505. SHRI RAJTV RANJAN SINGH 'LALAN' : ††

SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme for issuing Kisan Credit Card has been introduced by the financial institutions for providing loan facility to the farmers;

(b) if so, the States where such scheme has been introduced so far;

(c) the State-wise number of farmers to whom the said credit cards have been issued under the scheme; and

(d) the eligibility conditions for getting such Kisan Credit Cards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE-PATIL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. As a sequel to the announcement of the Hon'ble Union Finance Minister in his Budget Speech for the year 1998-99, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) had formulated a model Kisan Credit Card Scheme. The Scheme was introduced by banks as a trouble-free mechanism for providing adequate and timely credit to farmers. The Scheme has been extended to all States and Union Territories.

(c) As reported by NABARD, since the introduction of the scheme, the » co-operative banks, regional rural banks and the commercial banks have together issued 1.54 crore Kisan Credit Cards up to 30th June, 2001. The State-wise details are given in the Statement I *(See* below).

(d) An envisaged under the scheme, all farmers eligible for sanction of credit for crop production including credit for ancillary activities related thereto, such as maintenance of agricultural machinery/implements, electricity charges, etc. are eligible for Kisan Credit Card. Credit limits are determined with reference to the borrower's operational land-holding, cropping pattern, scales of finance for the crops concerned, etc.

---

* Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

Statement-I

State-wise details of the Kisan Credit Cards issued by Co-operative Banks, Regional Rural Banks and Commercial Banks as on 30th June, 2001

S.No	State/Union Territory	No. of Cards Issued
I	2	3
1	A&N Islands	694
2	Andhra Pradesh	3954890
3	Assam	4293
4	Arunachal Pradesh	231
5	Bihar	311465
6	Chandigarh	—
7	Chattisgarh	3221
8	D&NHaveii	1
9	Daman &Diu	—
10	Goa	1546
11	Gujarat	592123
12	Haryana	558871
13	Himachal Pradesh	32876
14	Jammu& Kashmir	13567
15	Jharkhand	12269
16	Karnataka	926509
17	Kerala	576180
18	Lakshadweep	63
19	Madhya Pradesh	365301
20	Maharashtra	1803540
21	Manipur	323
22	Meghalaya	1785
23	Mispram	3
24	NCT of Delhi	1417
25	Nagaland	10
26	Orissa	947247
27	Pondicherry	8301

1 2		3
28 Punjab		761290
29 Rajasthan		1531657
30 Sikkim		209
31 Tamil Nadu		1148913
32 Tripura		1396
33 Uttar Pradesh		1678673
34 Uttaranchal		2332
35 West Bengal		141501
	TOTAL	15382697

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जो जवाब दिया है, उसमें यह लिखा है कि वे सभी किसान, जो फसल उत्पादन और उससे संबंधित सहायक क्रियाकलापों जैसे कृषि मशीनरी-औजार, विद्युत प्रभार आदि के लिए ऋण मंजूरी हेतु पात्र हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के पात्र हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो किसान बैंक से लोन लेने के पात्र हैं वही किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र है। जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे देश में बहुसंख्यक किसान हैं, लगभग 75 प्रतिशत किसान या तो लघु किसान हैं या सीमांत किसान हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ जिन किसानों को मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसी नीति है और आप ऐसा निणर्य लेना चाहेंगे जिससे किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिल सके?

श्री बालासाहेब विखे पाटील: यह बात सही है कि छोटे किसान ज्यादा हैं, कुल मिलाकर 6.4 करोड़ हैं। अभी तक केवल पांच करोड़ इसके दायरे में आते हैं। जिनको सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, उसका एक ही कारण है कि उनका बकाया ज्यादा होता है। इसलिए हम उन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड इश्यु नहीं करते हैं। सभी छोटे और लघु किसानों के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें हम एक करोड़ 29 लाख को दे चुके हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि अगले तीन सालों में सब किसान इस दायरे में आ जाएं। अभी तक इनके लिए 30 हजार करोड़ राशि सैंक्शन हुई है। यदि सभी किसान इस दायरे में आ जाएंगे तो एक लाख से ज्यादा करोड़ की राशि उपलब्ध होगी।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, ये तीन सालों में कितनी राशि बाटेंगे, हमने यह नहीं पूछा था। हमने यह पूछा था कि लघु और सीमांत किसानों को ऋण की सुविधा

उपलब्ध कराएंगे या नहीं ? इसका इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । इसका मतलब यह है कि लघु और सीमांत किसानों को ये इसका लाभ नहीं देना चाह रहे हैं जबकि उनको मिलना चाहिए।

श्री बालासाहेब विखे पाटील: जिनको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है उनको तो मिलेगा। यह भी कहा है कि जिनको बकाया ज्यादा है, एक साल की री-शैडयूलिंग के बाद जब उनकी क्रेडिबिलिटी इलिजिबिल हो जाती है उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। एक साल में पूरा काम असंभव है इसलिए तीन साल की सीमा कर दी है। ऐसी बात नहीं है कि इसके कारण उनको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, बात इतनी है कि लघु और बड़े किसान में कोई अंतर नहीं है। यदि बड़े किसान का भी बकाया होता है तो उसको भी क्रेड़िट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, जो राज्य वार किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं और सूची संलग्न की है, इसमें बिहार में 311465किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। महोदय, बिहार सात करोड़ से ऊपर की आबादी वाला राज्य है। इसमें जो फीगर है, यह इतनी कम है कि इससे यह लगता है कि आज की नीति के अनुसार जो इसके लिए पात्रता रखते हैं उनको भी ये उपलब्ध अनुपात में नहीं करा पा रहे हैं। क्या ये इस अनुपात को और आगे बढ़ाने और इसमें तीव्रता लाने का विचार रखते हैं?

श्री बालासाहेब विखे पाटील:महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारी सबको देने की कोशिश है। आपके राज्य बिहार में सहकारी आंदोलन के माध्यम से काफी किसान कार्ड दिए गए हैं। राजस्थान में सहकारी आंदोलन के माध्यम से 97 परसेंट किसान कार्ड दिए और महाराष्ट्र में करीब 60 परसेंट हैं। ऐसे ही बिहार में एक राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी बैंक दोनों ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड दें, यह हमारी कोशिश है। जब तक पैसा वापस नहीं आता , जब पहले से ही बकाया ज्यादा है, इसके लिए तो असंभव है। जैसे ही रिकवरी होती है, इसके बाद ही क्रेडिट कार्ड इश्यु किया जाता है। जब एक किसान कार्ड इश्यु किया जाता है तो तीन साल की इन्शयोरेंस भी हमने इसमें लगा दी है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार के किसान के लिए अलग राह बनाई है। जितना किसान आगे जाता है उतना हम किसान क्रेडिट कार्ड देने की कोशिशि करते हैं । कोई ऐसी जगह हो सकती है कि किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर ने थोड़ा सा काम कम किया हो। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर तीन चार बार जिला स्तर पर ऐसी समस्या होगी तो हम ब्रांच मैनेजर को तलाश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसना क्रेडिट कार्ड देने की कोशिश करेंगे।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I frankly show my appreciation and pay a compliment to the Finance Minister because this is one of the rare cases where a Budget promise is fulfilled. Anyway, it is for the benefit of the farmers. So it is

a case of double compliments. I want to put only one question. Is there any mechanism or any system of safeguard by which you can prevent bad debts from improvident advances? The.whole scheme should not, ultimately, degenerate into what they call now crony capitalism. There is some resemblance to those notorious loan melas of the past. Will the hon. Minister be able to tell us, approximately, what is the proportion of the bad debts to good ones ?

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति जी, यह एक नई शुरुआत है लेकिन अनुभव यह रहा है कि कुछ जगहों पर उनकी रिकवरी 96 परसेंट और कुछ जगहों पर 100 परसेंट से भी ज्यादा है इसलिए अभी तक कुछ बकाया नहीं है। इससे अच्छा काम करने के लिए आर.बी.आई. ने जिला स्तर पर कुछ गाइडलाइन्स इश्यु की हैं। एम.एल.एज और एम.पीज. की एक कमेटी हरेक तीन महीने में बैंक और उनके प्रोफोर्मा को रिव्यू करेगी। इस कारण से काम और भी बढ़ सकता है और वह किसान के लिए लाभदायक हो सकता है।

SHRI W. ANGOU SINGH: Mr. Chairman, Sir, regarding the Kisan Credit Cards, the Minister has stated that all the farmers are eligible for sanction of credit for crop production. But we have seen that, while issuing the cards, the number of cards issued in the North-East is less. The number of cards issued in Arunachal Pradesh is 231; in Manipur, it is 323; in Mizoram, it is only 3; and in Nagaland, it is only 10. It shows that the cards are not properly issued to the eligible farmers. I had already stated in this House that, as far as the North-East is concerned, the problem regarding crop loan is one of the main problems. Most of the farmers are not receiving credit for crop production and because of that production is badly affected. I would like to know from the hon. Minister the basis on which Kisan Credit Cards are allocated to each State and the amounts that can be borrowed against these cards.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Mr. Chairman, Sir, I have mentioned earlier that there is no discrimination between the States. I do agree with the Member that, as far as the North-eastern States are concerned, the number of cards issued is the minimum. As far as the co-operative system is concerned, they have not issued a single credit card. Only some regional banks and commercial banks have issued the credit cards. We will make special efforts. Once I was there for a day and I tried my best to issue the Kisan Credit Cards. But for some reasons we could not succeed. I assure the Member and the House, through you, Sir, that we will try to issue the maximum number of credit cards so that the kisans will be benefited. I have mentioned about the total number of Kisan Credit Cards issued and the total amount sanctioned in my earlier reply.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, I congratulate the Finance Ministry for introducing the Kisan Credit Card scheme. It is very useful for agriculturists. They will be saved from paying unnecessary interest because interest has to be paid on the borrowing through credit cards. At the same time, I being the Chairman of the District Cooperative Bank, can say that while issuing Kisan Credit Cards, we have to insure the agriculturists for three years. We have been asked to pay Rs. 45 each for three years by way of premium. Sir, there should not be any compulsion on the banks; otherwise, it should be provided free of cost. All the district cooperative banks are not profit-making banks. So they will have to carry this burden. For example, so far as my district is concerned, we are giving loan to more than 1,90,000 people. If we have to give Rs. 45/- each, we have to spend Rs. 90 lakhs. Therefore this system should be revised and the NABARD should be given direction in this regard so that the Kisan Credit Card Scheme could be speeded up.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATEL: Sir, the hon, Member is right because one-third has to come from farmers and two-thirds has to come from the banks. The Finance Minister had announced it in his Budget speech. A number of banks are working on this issue. They have to pay only Rs. 15/- each per year. The State Coordination Committees are there. If there are specific complaints, we can look into those complaints. As on today, there is no need for revision because all the banks and farmers are happy. If there are any specific problems, we will look into those problems.

श्री राजीव शुक्ल: सभापति जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसमें 10 लाख हैं जब कि महाराष्ट्र में 18 लाख हैं और आंध्र प्रदेश में 40 लाख हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है यह समझ में नहीं आ रहा है। यह जो पैसा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जा रहा है, इसको वापस लेने का क्या प्रोसीजर है? कैसे यह वापस लिया जाएगा, इस पर मंत्री जी रौशनी डालें।

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Sir, there is no discriinination against any State. It depends on the banks and the workers. If the local workers and the farmers go to the banks, naturally, the banks are not going to respond. But there is no discrimination against anybody. In Uttar Pradesh, 1,30,778 Credit Cards have been issued.

श्री राजीव शुक्ल: कोआपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में ज्यादा है।

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Sir, I have already replied to it. In some States the cooperative movement is more. If the hon. Member has any specific case, we will definitely look into it. So far as the policy of the Government is concerned, there is no discrimination against any State. We want to encourage the Kisan Credit Card scheme more and more.

श्री राजीव शुक्ल: महाराष्ट्र में ज्यादा है।

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : In Rajasthan, the cooperative movement is 75 per cent and in Maharashtra it is 60 per cent. Sir, 96 per cent of our fanners are covered by the cooperative movement.

SHRI S. NIRAIKULATHAN: I welcome the Kisan Credit Card scheme. Will the hon. Minister consider extending the Kisan Credit Card scheme to agricultural labourers who are the backbone of our country?

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Sir, this scheme is only for the farmers and not for the labourers. The hon. Member has made a suggestion. As on today, we are issuing Kisan Credit Cards only to the farmers.

श्री विजय सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार में छोटे बड़े किसान 80 लाख टन धान पैदा कर रहे हैं लेकिन एक भी क्रेडिट कार्ड बिहार में नहीं दिया गया है और न इसकी कोई व्यवस्था की गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह 80 लाख टन धान छोटे बड़े किसानों को उपजाने के लिए क्यों किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं दिए गये हैं और क्यों इसकी व्यवस्था नहीं की गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसकी कब तक आप व्यवस्था करेंगे। यह व्यवस्था केवल सरकार के कागजों में रखी गई है।

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति जी, सौतेली व्यवस्था नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार में एक लाख से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। अगर आपकी नोटिस में है कि किसानों के अलावा किसी और को ये क्रेडिट कार्ड नहीं दिए हों तो इसकी कम्पलेंट कीजिए हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। इसमें सौतेले व्यवहार की कोई बात नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.